


# मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवारों  
के लिए किफायती आवास

श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा, के मार्गदर्शन में  
हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग, हरियाणा सरकार, हाऊसिंग बोर्ड हरियाणा,  
और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एक पहल।

**लॉन्च तिथि - 13 सितंबर, 2023**

**पंजीकरण अवधि - 13 सितंबर से 19 अक्टूबर, 2023**





## पृष्ठभूमि

हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण, 2023-24 में निम्नलिखित घोषणा संख्या 89 की:- “माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए, सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि हर परिवार के पास एक घर हो। प्रधान मंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई) द्वारा दिए गए लाभों से प्रेरणा लेते हुए, सरकार ने पी.पी.पी. डेटा के अनुसार ₹1.80 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की है। यह नीति ₹1.5 लाख की सीमा तक अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी और आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी जहाँ परिवार के पास जमीन नहीं है। मैं पी.एम.ए.वाई. के तहत उपलब्ध लाभों के अलावा सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। पायलट के परिणामों के आधार पर, अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान बाद में 2023-24 में किया जाएगा।”

माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन से, हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग, हरियाणा सरकार, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, आपके लिए एक परिवर्तनकारी पहल लेकर आए हैं - मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना - हरियाणा के शहरी निवासियों के लिए एक किफायती आवास परियोजना।

## योजना के लिए योग्यता

**आय पात्रता:** निवासी जिनकी पी.पी.पी. (परिवार पहचान पत्र) के हिसाब से सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।

**पहली बार पक्के मकान का लाभार्थी:** लाभार्थी या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी शहरी क्षेत्र में कोई भी पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए।


**शहरी निवास:** केवल हरियाणा के शहरी क्षेत्रों के निवासी इस योजना के योग्य हैं।

**घुमंतू जाति को प्राथमिकता:** घुमंतू जाति से संबंधित परिवारों को किफायती आवास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ताकि समावेशिता और समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।




## मौजूदा परियोजनाएं

- **यमुनानगर पायलट प्रोजेक्ट:** प्लॉट विकास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का कार्य यमुनानगर में चल रहा है।
- **मल्टीस्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स:** पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फ़रीदाबाद में मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है।



# आवेदन कैसे करें?



पोर्टल पर जाए - [hfa.haryana.gov.in](http://hfa.haryana.gov.in)



पीपीपी आईडी दर्ज करें



ओ.टी.पी. मान्य करें



फ्लैट का प्रदर्शन



प्लॉट का प्रदर्शन



"डाउन पेमेंट" व "ई.एम.आई. राशि" दर्ज करें



जमा करें



आपका आवेदन जमा हो चुका है



प्रिंट करें